उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या– **H 05249/C-5/143/O.A. no. 424/2023-24** दिनांक: 05.01.2024

To,

The Registrar General,
Principal Bench,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi-110001

Sub: **Regarding Response in the matter of OA no. 424/2023 Sunil Kumar Ramhet V/s State of Uttar Pradesh passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 05.10.2023.**

Sir,

In compliance to the order dated 05.10.2023 passed by this Hon'ble National Green Tribunal in the matter of O.A. no. 424/2023 Sunil Kumar Ramhet V/s State of Uttar Pradesh the response of U.P Pollution Control Board, Lucknow is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal and consideration.

Enclosure: As above.

Your's Sincerely,

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

Copy to:

1. Under Secretary, Section-7, Environment and Forest and Climate Change Department, UP Govt.
2. Shri Arvind Kumar, Advocate for UPPCB.

Member Secretary

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 424 of 2023

IN THE MATTER OF:

Sunil Kumar Ramhet ......**Applicant**

Versus

State of U.P. & Ors. ......**Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 05.10.2023 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL.

Sir,

The respondent no.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB, most respectfully showeth as under;

1- That vide its order dated 05.10.2023 this Hon'ble Tribunal has passed the following directions;

......

2. In view of the averments in the application and observations and recommendations made in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Sitapur (3) Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) through its Member Secretary and (4) M/s J.V. Daruka Papers Ltd. who are impleaded as respondents no. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

......

2- That in compliance to the previous order dated 01.08.2023 the Joint Committee comprising of the UPPCB and District Magistrate, Sitapur has filed its factual and action taken report dated 03.10.2023 before this Hon'ble Tribunal.

3- That in pursuance to the recommendation made in the Joint Committee Report in accordance to the inspection dated 21.08.2023 the UPPCB has issued the directions against the unit in question, i.e. M/s J. B. Daruka Papers Mill, Sitapur, under Section 31-A of Air Act, 1981 on 03.10.2023 in regard to the control of fugitive emission and handling of bagasse/rice husk and compliance for CTO conditions. The true copy of direction dated 03.10.2023 is being annexed herewith as **Annexure No.-1** to this response.

4- That further in pursuance to the order dated 05.10.2023 the UPPCB has inspected the site of unit in question on 18.11.2023 and 24.12.2023, respectively. During the inspection the Ambient Air Quality monitoring conducted within the premises of unit question the observed parameters were found exceeding above the standard parameter. Furthermore, during inspection the unit was not found complying with the specific condition no.-13 and 15 of Consent to Operate dated 23.03.2023. The true copy of inspection report dated 18.11.2023 and 24.12.2023 are being annexed herewith as **Annexure No.-2** to this response, respectively.

5- That in pursuance to the inspection reports, mentioned above, the UPPCB has issued a Show Cause notice for closure under Section 31-A of the Air Act, 1981 along with the imposition of the Environmental Compensation of Rs. 24,90,000/- (Rs. Twenty Four Lakhs Ninety Thousand only) vide its letter dated 05.01.2024. The copy of the Show Cause notice is being annexed herewith as **Annexure No.-3** to this response.

6- That it is also pertinent to mention here the complainant/applicant, Sunil Kumar Ramhet, has moved representation dated 14.04.2023 before the authorities concern as well as UPPCB regarding to the withdrawal of compliant against the unit in question. A letter dated 14.04.2023 along with inspection report dated 25.09.2023 are being annexed herewith as **Annexure No.-4** and **Annexure No.5** to this response, respectively.

Therefore, the response to the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is being filed for the perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Yours' Sincerely

Sk 5/1/24

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक संख्या–H01449 /सी–5/L/ozat-37/2023 दिनांक 3-10-23

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स,
ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, एडवनिया ग्रान्ट, शाहजहॉपुर रोड,
सीतापुर।

विषयः **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–424/2023 सुनील कुमार रामहेत बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में उद्योग का समिति द्वारा किए गये निरीक्षण दिनांक 21.08.2023 में पाये गये तथ्यों के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्देश ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–424/2023 सुनील कुमार रामहेत बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 17.08.2023 द्वारा जिला प्रशासन, सीतापुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की गठित समिति के सदस्यों द्वारा उद्योग मैसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, एडवनिया ग्रान्ट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर का निरीक्षण दिनांक 21.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई में भण्डारित बैगास एवं राइस हस्क के कणों के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित ब्रेकिंगवाल जगह–जगह टूटी पायी गयी तथा ब्वायलर से जनित फ्लाई ऐश पर पर्याप्त जल छिड़काव की व्यवस्था नही पायी गयी, जिससे महीन कणों के उत्सर्जन से आस–पास के क्षेत्र में कुप्रभाव पड़ना सम्भावित है। इकाई के ब्वायलर की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जन के सतत् मापन हेतु Online Continuos Emission Moinitoring System (OCEMS) स्थापित नही है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–1513/सहमति–156डी/2023 दिनांक 27.09.2023 द्वारा उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उपरोक्त के अनुपालन हेतु निर्देश दिये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मैसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, एडवनिया ग्रान्ट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि –

1. इकाई में भण्डारित बैगास एवं राइस हस्क के कणों के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित ब्रेकिंगवाल की मरम्मत कराकर चारों तरफ से कवर्ड किया जाये, जिससे धूल कणों के उत्सर्जन की समस्या उत्पन्न न हो।
2. ब्वायलर से जनित फ्लाई ऐश पर पर्याप्त जल छिड़काव की व्यवस्था हेतु आटोमेटिक वाटर स्प्रिकंलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा ब्वायलर से जनित फ्लाई ऐश का निस्तारण तकनीकी रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप निस्तारित किया जाये।
3. इकाई में स्थापित ब्वायलर की चिमनी से जनित उत्सर्जन के सतत् मापन हेतु Online Continuos Emission Moinitoring System (OCEMS) स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 23.03.2023 द्वारा जारी सहमति (सी.टी.ओ.) की विशिष्ट शर्त संख्या–2, 8, 11, 12, 13 एवं 15 का अनुपालन सुनिश्चित करे।

...2

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या 15 दिन में बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग एवं उद्योग संचालक का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी उक्त निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

मै0 जे0बी0दारूका पेपर्स लि0, अडवानिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर के विरूद्व प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरी आख्याः–

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एचओ 4906/सी–5/जल–37/23 दिनांक 28/12/23 के कम में अद्यतन आख्य पर अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित (ओ0एस0 संख्या 424/2023) सुनील कुमार रामहेत बनाम स्टेट आफ यू0पी0 मे पारित आदेश दिनांक 05/10/2023 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–एचओ 1879/सी–5/143/ OA. 424/23 दिनांक 12/10/23 के अनुक्रम में इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 29/11/2023 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई संचालित पायी गयी, इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश अग्रवाल (पार्टनर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः–

उद्योग की वर्तमान में अद्यतन स्थिति–

1. मै0 जे0बी0 दारूका पेपर्स लि0, अडवानिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में एग्रो वेस्ट (गन्ने की खोई) का प्रयोग कर मीडिया क्राफ पेपर औसतन 45 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। इकाई की मीडिया क्राफ्ट पेपर उत्पादन क्षमता 50 टन/दिन है।
2. उद्योग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 1350 केएलडी क्षमता का ई0टी0पी0 स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयॉ इक्वालाइजेशन टैंक, कैमिकल डोजिंग टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, एयरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरी फायर, स्लज थिकनर एवं स्लज डाइंग बेड्स है। इकाई से जनित ब्लैक लिकर के निस्तारण हेतु कैमिकल रिकबरी प्लाण्ट (140 एग्रोपल्प टन/दिन) की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 व कैमिकल रिकवरी प्लाण्ट संचालित पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 के आउटलेट से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला से विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार इंगित प्रचालक पी0एच0–7.39, एस0एस–38.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–26.4 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–212.0, मिग्रा 0/ली0 पायी गयी जोकि मानको के अनुरूप है। विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है।
4. निरीक्षण के दौरान गदिया नाला एवं पिरई नाले के अपस्टीम एवं डाउनस्टीम का नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जमा करा दिया गया है प्राप्त विश्लेषण अख्यानुसार गदिया नाला एवं पिरई नदी के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम का नमूना मानको के अनुरूप पाया गया। विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है।
5. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषणकारी श्रोत क्रमशः 10 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्यायलर व 08 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्यायलर स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ क्रमशः लगभग 30 मी0, ऊॅची चिमनी स्थापित की गयी है ।
6. इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–UPPCB/Lucknow (UPPCBRO)/CTO/ both/ SITAPUR/2022 Date: 23/03/2023 के माध्मय से सहमति जल/वायु वर्ष–2023 तक एवं राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–8362/UPPCB /Lucknow (UPPCBRO)/HWM/SITAPUR/2019 Dated-01/08/2019 के माध्यम से दिनांक 01/08/24 तक परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्डस वेस्ट) निर्गत है। इकाई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के दौरान इकाई सहमति शर्तो का अनुपालन करती हुयी पायी गयी।
7. दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में अडवानिया ग्रंट, शाहजहॉपुर रोड, थाना–रामकोट से आख्या प्राप्त की गयी । आख्यानुसार विगत 06 माह में इकाई से जनित हो रहे धुयें से जनित किसी भी दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
8. शिकायतकर्ता द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 14/04/23 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसने किसी के बहकावे में आकर पेपर मिल की शिकायत कर दी थी तथा यह भी अवगत कराया है कि मै0 जे0बी0 दारूका पेपर मिल भारत सरकार के द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार चल रही है तथा पेपर मिल से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है (शिकायतकर्ता के पत्र की छायाप्रति संलग्न)।
9. दिनांक 25/09/23 को शिकायकर्ता श्री सुनील कुमार रामहेत को जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित किया गया तथा उनके द्वारा पेपर मिल से किसी भी शिकायत को मना कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र निरस्त करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है।

उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के आदेश दिनांक 03/10/2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनि. , 1981 के अन्तर्गत पारित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति–

उक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29.11.2023 एवं दिनांक 24.12.2023 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उपरोक्त निर्देश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है:–

1. इकाई में भण्डारित बैगास एवं राइस हस्क के कणों के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु भण्डारण स्थल के चारों तरफ ब्रेकिंग वाल की स्थापना कर कवर्ड कर लिया गया है।
2. **ब्वायलर से जनित फ्लाई ऐश पर जल छिड़काव की व्यवस्था की गयी है, परन्तु नियमित छिड़काव हेतु आटोमैटिक वाटर स्प्रिंकलर स्थापित नही किया गया है, जिससे परिसर के अन्दर प्रशासनिक भवन के समीप में पीएम 10 निर्धारित मानक (100 माइक्रोग्राम/घनमीटर) के सापेक्ष 196.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर एवं बैगास एरिया के निकट 188.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गयी, जो कि मानक से अधिक है।** ब्वायलर की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों एवं परिसर के अन्दर वायु गुणता का अनुश्रवण राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला से दिनांक 24.12.2023 को कराया गया। ब्वायलर की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों में प्रचालक पार्टिकुलेट मैटर मानकों के अनुरूप है। ब्वायलर के संचालन से जनित फ्लाई ऐश को स्वयं की लोलाइनएरिया में भराई हेतु प्रयोग में किया जा रहा है।
3. **इकाई द्वारा ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी पर ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित कर लिया गया है, परन्तु अभी तक सी.पी.सी.बी./यू.पी.पी.सी.बी. के सर्वर से कनेक्ट नही किया गया है।**
4. उद्योग को आनलाइन संदर्भ संख्या–UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date23.03.2023 द्वारा जारी सहमति (सी.टी.ओ.) की विशिष्ट शर्त संख्या–2, 8, 11, 12, 13 एवं 15 के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:–

CTO condition	Specific Conditions	Action Taken	Complying status
2.	The industry will follow all the directions as specified in the Charter for Pulp and Paper Industries prepared by CPCB in feb 2015.	During inspection the industry was found complying the directions of Charter.	Complying
8.	Industry shall make proper arrangement for safe and scientific handling, storage, transportation and disposal of all solid wastes, sludge etc. generated.	Ash generated from Boilers is being stored and disposed through lowland area of the industry premises and sludge is being soled to manufacturer of cardboard.	Complying
11.	Industry shall operate and maintain installed APCS (cyclone dust collector attached with the Boilers of 10.0 TPH and 8.0 TPH) effectively and Stack monitoring report shall be submitted on quarterly basis.	The industry has been installed cyclone dust collector on Boilers of 10.0 TPH and 8.0 TPH with common stack 30 meter high as APCS. The stack monitoring conducted by Central Lab, UPPCB on dated 24.12.2023. As per analysis report particulate matter was found 237 mg/Nm^3 which is with in the precribed norms ($600mg/Nm^3$). Hence complying.	Complying
12.	Air monitoring report conducted by any NABL accredited lab should be submitted quarterly.	Unit is being submitted Ambient air monitoring report on quaterly basis. Hence complying.	Complying
13	The unit shall ensure the ambient air quality should be achieved as per prescribed standards.	Ambient air monitoring conducted by Central Lab, UPPCB on dated 24.12.2023. As per analysis report PM10 (Near Admine Block) was found 196.5 $\mu g/m^3$ and PM10 (Near Bagasse Yard) was found 188.5 $\mu g/m^3$ which is beyond the norms (100 $\mu g/m^3$). Hence not complying.	Not Complying
15.	Ash generated from Boilers shall be stored in a safe place and proper arrangement of water sprinkling shall be done to suppress the dust particles. A plan to dispose the Boiler ash shall be submitted to the Board within one month.	Ash generated from Boilers is being stored and disposed through lowland area of the industry premises. The unit has not installed automatic water sprinkling system for suppress the dust particles. A plan to dispose the Boiler ash has not been submitted by the unit.	Not Complying

अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–424/2023 में पारित आदेश दिनांक 05/10/2023 में रिसपॉन्स दाखिल किये जाने हेतु निर्देश दिये गये है तथा उक्त वाद में अगली तिथि दिनांक 09/01/2024 नियत है।

बोर्ड के पत्रांक–एच 01449/सी–5/एल/ जल–37/2023 दिनांक 03.10.2023 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु संख्या–2 एवं 3 तथा सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–13 एवं 15 का अनुपालन न पाये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्दिष्ट इकाई के विरूद्ध दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 24.12.2023 तक(कुल 83 दिन) डिफाल्टर अवधि हेतु निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन करते हुए तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी हैः–

Envrionmental Compensation (EC)= PI x N x R x S x LF
PI- Pollution index of industrial sector =80 (for Red category industry)
N-Number of days of violation took place= 83 day
R-A factor in Rupees for EC =250/-
S-Factor for scale of operation=1.5 (for large scale industry)
LF-Location factor=1.0 (for Advaniya Grant Sitapur)
Total Environmental Compensation= 80x83x250x1.5x1.0= Rs. 24,90,000/-

उपरोक्त परिस्थिति में इकाई द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 17/10/2023, 07/12/2023 एवं 26/12/2023 तथा निरीक्षण दिनांक 29/11/2023 एवं राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा कराये गये अनुश्रवण दिनांक 24/12/23 में पाये गये तथ्यों के कम में इकाई मै0 जे0बी0 दारूका पेपर्स लि0, अडवानिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

28/12/23 28.12.2023

(रज्जन प्रसाद त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

(आर0के0 तिवारी)
सहा0 पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी/मुख्य पर्या0 अधिकारी (वृत्त–5),महोदय

28/12/23

CEO-5, Sir

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Certificate No TC-11015

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 23670658/Lucknow/2023 **Date:08/12/2023**

1- **Name of Industry:** J B DARUKA PAPERS LIMITED
2- **Address of Industry:** AI INDUSTRIAL AREA, ADVENIA GRANT SHAHJAHANPUR ROAD, SITAPUR
3- **District:** Sitapur
4- **Description about sampling point:** OUTLET OF ETP
5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab
6- **Sample Collected By:** R.K. Tiwari AEE & Pankaj Shukla ASO
7- **Colour and Odour:** - -
8- **Quantity and Packing:** 2 Lit Plastic Jerrycan
9- **Date of Sample Collection:** 29/11/2023
10- **Analyis Indented by:** RO Lucknow
11- **Date of sample receipt in Lab:** 30/11/2023

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.39	7.0-8.5	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	38.0	50	10-20000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	26.4	30	1.0 -50000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	212.0	250	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1)General Standards for discharge of envieronment Pollutants are as pert-A Effluent(Schedule-VI).The eniveronment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards,refer EPA standards for specific purpose

Remark: NA

Analysed by-
[Dr Alka Singh (SA)]

Authorized by
SAMRENDRA SINGH
Digitally signed by SAMRENDRA SINGH
Date: 2023.12.08 18:15:14 +05'30'
Samrendra Singh (ASO)

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2023.12.08 18:15:27 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Certificate No TC-11015

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-23671887/CENTRAL/2023 **Date:11/12/2023**

1- **Sample Location:** U/S PIRAI RIVER NEAR SITAPUR
2- **District:** Sitapur
3- **Address:** SHAHJAHANPUR ROAD BRIDGE SITAPUR
4- **Sample Source:** River
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** R.K. Tiwari AEE, Pankaj Shukla , ASO
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 lit. plastic jerrycan & 1 DO glasss bottle
9- **Date of Sample Collection :** 29/11/2023
10- **Analyis Indented by :** RO Lucknow
11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/11/2023

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.43	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	46.0	5.0 -10000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	3.6	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	18.2	4.0 -1000 mg/l
D.O. , 4500-OB Iodometric Method	mg/l	6.58	0.2-14.0 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA)]

Authorized by
VINAY DUBEY
Digitally signed by VINAY DUBEY
Date: 2023.12.11 11:00:51 +05'30'
Vinay Dubey (ASO)

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2023.12.11 11:01:03 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Certificate No TC-11015

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-23671570/CENTRAL/2023 **Date:11/12/2023**

1- **Sample Location:** D/s Pirai river, hardoi road, sitapur
2- **District:** Sitapur
3- **Address:** Hardoi Road, Sitapur
4- **Sample Source:** River
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** R.K. Tiwari AEE, Pankaj Shukla , ASO
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 lit. plastic jerrycan & 1 DO bottle
9- **Date of Sample Collection :** 29/11/2023
10- **Analyis Indented by :** RO Lucknow
11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/11/2023

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.47	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	58.0	5.0 -10000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	4.50	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	24.4	4.0 -1000 mg/l
D.O. , 4500-OB Iodometric Method	mg/l	5.40	0.2-14.0 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA)]

Authorized by
VINAY DUBEY
Digitally signed by VINAY DUBEY
Date: 2023.12.11 11:02:21 +05'30'
Vinay Dubey (ASO)

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2023.12.11 11:02:34 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Certificate No TC-11015

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-23672169/CENTRAL/2023 **Date:11/12/2023**

1- **Sample Location:** Gadiya nala, near shahjahanpur road, Sitapur
2- **District:** Sitapur
3- **Address:** Shahjahanpur Road, Sitapur
4- **Sample Source:** Drain
5- **Type of sample :** Surface Water
6- **Sample Collected By :** R.K. Tiwari AEE, Pankaj Shukla , ASO
7- **Odour :** None
8- **Quantity and Packing :** 2 lit. plastic jerrycan
9- **Date of Sample Collection :** 29/11/2023
10- **Analyis Indented by :** RO Lucknow
11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/11/2023

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.60	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	72.0	5.0 -10000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio	mg/l	21.0	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	104.0	4.0 -1000 mg/l

Remark:* - NA

Analysed by
[Arti Gupta(SA)]

Authorized by
VINAY DUBEY Digitally signed by VINAY DUBEY Date: 2023.12.11 10:58:54 +05'30'
Vinay Dubey (ASO)

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2023.12.11 10:59:12 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
TC-12 V, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

AMBIENT AIR TEST REPORT

TC-11015

Ref No. 24095653/CENTRAL/2023 **Date: 26/12/2023**

1. **Name & Address of Industry** : M/s J. B. Daruka Papers Ltd, Advenia Grant, Shahjahanpur Road, Sitapur.
2. **Sample Collected by** : Mohit Kumar (M.A.) & Aditya Kumar (M.A.)
3. **Date of Sample Collection** : 24 December 2023
4. **Date of Sample receipt in Laboratory** : 24 December 2023
5. **Further details of sample location and Test methods followed are appended overleaf**..............................

S. N.	Monitoring Location	Particulate Matter PM10 (Less than 10 micron) (µg/m³)	Sulphur di-oxide (µg/m³)	Nitrogen di-oxide (µg/m³)
1.	Near Admin Building (Upwind)	196.5	12.5	28.8
2.	Near Bagasse Yard of Industry (Downwind)	188.6	10.8	27.7
STANDARDS		**100**	**80**	**80**

Analysed by-
[P K Mishra SA]

Authorised by-

SAMRENDRA SINGH
Digitally signed by SAMRENDRA SINGH
Date: 2023.12.26 18:05:29 +05'30'
Asstt. Scientific Officer

RAM GOPAL
Digitally signed by RAM GOPAL
Date: 2023.12.26 18:05:43 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

CENTRAL LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Stack Emission Test Report

Ref No.24095642/CENTRAL/2023 **Date: 26/12/2023**

1- **Name & Address of Industry:** J B DARUKA PAPERS LIMITED, Shahjahanpur Raod, Sitapur
2- **Sample Collected By:** Manoj Verma, MA & P K Mishra S.A.
3- **Date of Monitoring:** 24/12/2023
4- **Source of Sampling:** Stack
5- **Stack attached to:** Boiler
6- **Stack Height:** 30 m
7- **Total No. of Boiler:** 02 Nos
8- **Capacity of Boiler:** 10 TPH & 08 TPH
9- **Fuel used:** Rice Husk
10- **Quantity of Fuel used:** 35 TPD
11- **Flue Gas Velocity:** 8.09 m/s
12- **Air Pollution Control Device:** Wet Scrubber & Multicyclone Dust Collector
13- **Other remarks (if any):** 08 TPH Boiler - Standby
14- **Further details of sample location nad Test methods followed are appened overleaf:**

Sr no.	Parameter	Unit	Result	Standards
1	Particulate Matter	mg/Nm3	237	600

Analysed by-
[P K Mishra SA]

Authorised Signatory-
SAMRENDRA SINGH Digitally signed by SAMRENDRA SINGH Date: 2023.12.26 18:07:08 +05'30'
Samrendra Singh (ASO)

RAM GOPAL Digitally signed by RAM GOPAL Date: 2023.12.26 18:07:21 +05'30'
Chief Environmental Officer
Central Laboratory

Annexure-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H 05246 C-5/L।जल-37।24 Dated 05/01/24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स,
ए—1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहाँपुर रोड, पुलिस चौकी,
सीतापुर। 9415047448

यह कि मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए—1, औद्योगिक क्षेत्र, एडवनिया ग्रन्ट, शाहजहाँपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में एग्रो वेस्ट (गन्ने की खोई) का प्रयोग कर मीडिया क्राफ्ट पेपर का उत्पादन कार्य करते हुए उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा—40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा।

यह कि मा0 एन.जी.टी., नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या—424/2023 सुनील रामहेत बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्र दिनांक 17.08.2023 द्वारा जिला प्रशासन, सीतापुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की गठित समिति के सदस्यों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 21.08.2023 को किया गया। निरीक्षण में पाई गयी कमियों के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक—एच 01449/सी—5/एल/जल—37/2023 दिनांक 03.10.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किया गया था:—

1. इकाई में भण्डारित बैगास एवं राइस हस्क के कणों के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्थापित ब्रेकिंगवाल की मरम्मत कराकर चारों तरफ कवर्ड किया जाये, जिससे धूल कणों के उत्सर्जन की समस्या उत्पन्न न हो।
2. ब्यायलर से जनित फ्लाई ऐश पर पर्याप्त जल छिड़काव की व्यवस्था हेतु आटोमेटिक वाटर स्प्रिकंलर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा ब्यायलर से जनित फ्लाई ऐश का निस्तारण तकनीकी रूप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप निस्तारित किया जाये।
3. इकाई में स्थापित ब्यायलर की चिमनी से जनित उत्सर्जन के सतत् मापन हेतु Online Continuos Emission Monitoring System (OCEMS) स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग को बोर्ड के पत्र दिनांक 23.03.2023 द्वारा जारी सहमति (सी.टी.ओ.) की विशिष्ट शर्त संख्या—2, 8, 11, 12, 13 एवं 15 का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या—2100/सह0—156 डी/2023 दिनांक 28.12.2023 द्वारा अद्यतन आख्या प्रेषित की गयी है। आख्यानुसार उद्योग का निरीक्षण दिनांक 29.11.2023 एवं दिनांक 24.12.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उपरोक्त निर्देश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है:—

1. इकाई में भण्डारित बैगास एवं राइस हस्क के कणों के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु भण्डारण स्थल के चारों तरफ ब्रेकिंग वाल की स्थापना कर कवर्ड कर लिया गया है।
2. **ब्यायलर से जनित फ्लाई ऐश पर जल छिड़काव की व्यवस्था की गयी है, परन्तु नियमित छिड़काव हेतु आटोमैटिक वाटर स्प्रिंकलर स्थापित नही किया गया है, जिससे परिसर के अन्दर प्रशासनिक भवन के समीप में पीएम 10 निर्धारित मानक (100 माइक्रोग्राम/घनमीटर) के सापेक्ष 196.5 माइक्रोग्राम/घनमीटर एवं बैगास एरिया के निकट 188.5 माइकोग्राम/घनमीटर पाई गयी, जो कि मानक से अधिक है।** ब्यायलर की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों एवं परिसर के अन्दर वायु गुणता का अनुश्रवण राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला से दिनांक 24.12.2023 को कराया गया। ब्यायलर की चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जकों में प्रचालक पार्टिकुलेट मैटर मानकों के अनुरूप है। ब्यायलर के संचालन से जनित फ्लाई ऐश को स्वयं की लोलाइनएरिया में भराई हेतु प्रयोग में किया जा रहा है।
3. **इकाई द्वारा ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी पर ऑनलाइन मानिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित कर लिया गया है, परन्तु अभी तक सी.पी.सी.बी./यू.पी.पी.सी.बी. के सर्वर से कनेक्ट नही किया गया है।**

...2

4. उद्योग को आनलाइन संदर्भ संख्या–UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/CTO/both/SITAPUR/2022 Date23.03.2022 द्वारा जारी सहमति (सी.टी.ओ.) की विशिष्ट शर्त संख्या–2, 8, 11, 12, 13 एवं 15 में से शर्त संख्या–12, 13 एवं 15 का अनुपालन नही पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

CTO conditions	Specific Conditions	Action Taken	Complying status
2.	The industry will follow all the directions as specified in the Charter for Pulp and Paper Industries prepared by CPCB in feb 2015.	During inspection the industry was found complying the directions of Charter.	Complying
8.	Industry shall make proper arrangement for safe and scientific handling, storage, transportation and disposal of all solid wastes, sludge etc. generated.	Ash generated from Boilers is being stored and disposed through lowland area of the industry premises and sludge is being soled to manufacturer of cardboard.	Complying
11.	Industry shall operate and maintain installed APCS (cyclone dust collector attached with the Boilers of 10.0 TPH and 8.0 TPH) effectively and Stack monitoring report shall be submitted on quarterly basis.	The industry has been installed cyclone dust collector on Boilers of 10.0 TPH and 8.0 TPH with common stack 30 meter high as APCS. The stack monitoring conducted by Central Lab, UPPCB on dated 24.12.2023. As per analysis report particulate matter was found 237 mg/Nm³ which is with in the precribed norms (600mg/Nm³). Hence complying.	Complying
12.	Air monitoring report conducted by any NABL accredited lab should be submitted quarterly.	Unit is being submitted Ambient air monitoring report on quaterly basis. Hence complying.	Complying
13	The unit shall ensure the ambient air quality should be achieved as per prescribed standards.	Ambient air monitoring conducted by Central Lab, UPPCB on dated 24.12.2023. As per analysis report PM10 (Near Admine Block) was found 196.5 μg/m³ and PM10 (Near Bagasse Yard) was found 188.5 μg/m³ which is beyond the norms (100 μg/m³). Hence not complying.	Not Complying
15.	Ash generated from Boilers shall be stored in a safe place and proper arrangement of water sprinkling shall be done to suppress the dust particles. A plan to dispose the Boiler ash shall be submitted to the Board within one month.	Ash generated from Boilers is being stored and disposed through lowland area of the industry premises. The unit has not installed automatic water sprinkling system for suppress the dust particles. A plan to dispose the Boiler ash has not been submitted by the unit.	Not Complying

यह कि बोर्ड के पत्रांक–एच 01449/सी–5/एल/ जल–37/2023 दिनांक 03.10.2023 द्वारा जारी निर्देश के बिन्दु संख्या–2 एवं 3 तथा सहमति की विशिष्ट शर्त संख्या–13 एवं 15 का अनुपालन न पाये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या–2100/सह0–156 डी/2023 दिनांक 28.12.2023 द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्दिष्ट इकाई के विरूद्ध दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 24.12.2023 तक(कुल 83 दिन) डिफाल्टर अवधि हेतु निम्नानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलन करते हुए तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है:–

Envrionmental Compensation (EC)= PI x N x R x S x LF

PI- Pollution index of industrial sector =80 (for Red category industry)
N-Number of days of violation took place= 83 day
R-A factor in Rupees for EC =250/-
S-Factor for scale of operation=1.5 (for large scale industry)
LF-Location factor=1.0 (for Advaniya Grant Sitapur)

Total Environmental Compensation= 80x83x250x1.5x1.0= Rs. 24,90,000/-

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28.12.2023 का संज्ञान लेते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैः–

1. यह कि क्यों न मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर को बोर्ड के पत्रांक–/UPPCB/Lucknow(UPPCBRO)/both /SITAPUR/2021 दिनांक 23.03.2023 द्वारा जारी सहमति को निलम्बित कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।

उक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के पत्र दिनांक 08.02.2019 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति ऑकलन किये जाने हेतु मार्गदर्शिका के अनुरूप उद्योग मेसर्स जे0बी0 दारूका पेपर मिल्स, ए–1, औद्योगिक क्षेत्र, अडवनिया ग्रांट, शाहजहॉपुर रोड, पुलिस चौकी, सीतापुर के विरूद्ध दिनांक 03.10.2023 से दिनांक 24.12.2023 तक(कुल 83 दिन) डिफाल्टर अवधि हेतु रूपये 30,000/–प्रतिदिन की दर से कुल रूपये 24,90,000/– (रूपये चौबिस लाख नब्बे हजार मात्र) क्यों न पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में पूर्ण स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा उपरोक्त वर्णित कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, सीतापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,वृत्त–5

शिकायत पत्र निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

मैं, सुनील कुमार पुत्र रामसजीवन व रामहेत पुत्र पुत्तीलाल निवासी गण ग्राम अडवेनिया ग्रांट, मजरा शंकरपुर, इन्दरानगर थाना रामकोट जिला सीतापुर का निवासी हूँ। हम लोग किसी के बहकावे में आकर जे0बी0 दारुका पेपर्स लिमिटेड, ए1 इन्डस्ट्रियल एरिया अडवेनिया ग्रांट, सीतापुर के खिलाफ वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण सम्बन्धित अनको प्रार्थना पत्र शासन को दे दिए थे बाद में मुझे पेपर मिल के बारे में पूरी जानकारी मिली इस प्रकार की प्रदूषण से सम्बन्धित कोई भी परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि मिल में प्रदूषण सम्बन्धित सरकार के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन हो रहा है और कोई भी जानवर नाले का पानी पीने से न तो बीमार हुए है और न ही कभी किसी जानवर की मृत्यु हुई है हम लोग किसी के बहकावे में आकर दिनांक– 10.03.2023, 15.03.2023, 21.03.2023 व 27.03.2023 इस प्रकार से कई शिकायत पत्र हमने शासन को दिए थे जो कि अनुचित थे जिनकी शिकायत संख्या –20015423009129, 60000230063934, 20015423010150 आदि हैं।

महोदय ये सभी शिकायत पत्र जो हम लोगों ने दिए थे वो किसी के बहकावे में आकर दिए थे इसका मुझे बहुत ही खेद है क्योंकि सच्चाई हमें मालूम हो गई है कि पेपर मिल से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है बल्कि हमारे क्षेत्र में पेपर मिल लगने से क्षेत्रीय विकास हुआ है व लगभग पॉच सौ लोंगो के परिवार का भरण पोषण हो रहा है जो मिल में कार्य करते हैं। हम लोग भविष्य में बिना जानकारी के या किसी के बहकावे में आकर पेपर मिल के खिलाफ शिकायत नहीं करेंगे, जे0बी0 दारुका पेपर मिल भारत सरकार के द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार ही चल रहा है हम लोगो को पेपर मिल से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है।

अतः आप से अनुरोध है मेरे द्वारा दिए गए सभी शिकायत पत्रों को निरस्त करनें की कृपा करें।

धन्यवाद!

दिनांक – 14.04.2023

प्रार्थी गण

सुनील कुमार (signature)
सुनील कुमार
रामहेत (signature)
रामहेत
निवासी उपरोक्त

महोदय, मैं सुनील कुमार पुत्र रामसजीवन व रामहेत पुत्र पुत्तीलाल निवासी ग्राम शंकरपुर इन्दरानगर ग्राम अडवेनिया ग्रान्ट शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 14.4.23 को मेरे द्वारा जो शिकायत निरस्त किये जाने हेतु बयान दिया गया था उसको हम दोनो लोग पुष्टि आज दिनांक 25.9.2023 को भी करते हैं। पेपर मिल से कोई भी शिकायत नहीं है

सुनील कुमार रामहेत

बयान मेरे समक्ष
[illegible]

रिपोर्ट थाना रामकोट जनपद सीतापुर

सेवा में,

श्रीमान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, महोदय

जनपद लखनऊ

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि N.H. 24 सीतापुर शाहजहाँपुर रोड किनारे अडबेनिया ग्रान्ट में स्थित जे.बी. रारुका पेपर्स लिमिटेड कम्पनी द्वारा हाइं पर कभी भी कोई सडक दुर्घटना नहीं हुई है कम्पनी द्वारा कभी भी स पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नही किया गया है लिखित प्रमाण, आपकी सेवा में निर्गत किया जा रहा है।

प्रमाण पत्र सादर सेवा में प्रेषित है।

22/09/1[illegible]

(मनोज कुमार सिंह)

S.I.

P/S रामकोट, सीतापुर

मो०नं०- 8052524445

जिलाधिकारी महोदय,
सीतापुर

मै0 जे0बी0दारूका पेपर्स लि0, अडवानिया ग्रंट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः—

इकाई के विरूद्ध माननीय एन0जी0टी0 में शिकायत श्री सुनील कुमार रामहेत पुत्र राम सजीवन रामहेत पुत्र पुत्ती लाल की गयी थी जिसमें अवगत कराया गया था कि पेपर मिल के चलने से प्रदूषित जल गॉव के पड़ोस के नाले में बहता है तथा अधिकांश हैडपम्प खराब हो चुके है एवं बचे हुये नल से दूषित पानी आता है धुयें से वायु प्रदूषित हो रही है। इकाई में एकत्रित भूसी लोगो के घरो में गिरती है प्रदूषित जल एवं वायु से फसले नष्ट हो रही है। नेशनल हाइवे समीप होने के कारण धुयें व भूसी के कण ऑख में पड़ने से अक्सर दुर्घटनायें होती रहती है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित (ओ0एस0 संख्या 424/2023) सुनील कुमार रामहेत बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या—एच 99062/सी—5/विधि OA4. 424/23 दिनांक 09/08/23 7386/सी—5/एल/जल—287/22 दिनांक 17/06/2023 के अनुक्रम में जिला प्रशासन सीतापुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 21/08/2023 एवं 21/09/2023 को किया गया। निरीक्षण दिनांक 21/08/23 को उद्योग संचालनरत पाया गया एवं दिनांक 21/09/23 को मेनटेनेन्स के कारण उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश अग्रवाल (पार्टनर) उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः—

1. मै0 जे0बी0 दारूका पेपर्स लि0, अडवानिया ग्रंट, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर द्वारा कच्चे माल के रूप में एग्रो वेस्ट (गन्ने की खोई) का प्रयोग कर मीडिया क्राफ पेपर औसतन 45 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है। इकाई की मीडिया क्राफ्ट पेपर उत्पादन क्षमता 50 टन/दिन है।
2. उद्योग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 1350 केएलडी क्षमता का ई0टी0पी0 स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयॉ इक्वालाइजेशन टैंक, कैमिकल डोजिंग टैंक, प्राइमरी क्लेरीफायर, एयरेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरी फायर, स्लज थिकनर एवं स्लज डाइंग बेड्स है। इकाई से जनित ब्लैक लिकर के निस्तारण हेतु कैमिकल रिकबरी प्लाण्ट (140 एग्रोपल्प टन/दिन) की स्थापना की गयी है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 व कैमिकल रिकवरी प्लाण्ट संचालित पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 के आउटलेट से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला से विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार इंगित प्रचालक पी0एच0—7.55, एस0एस—44.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0—22.0 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0—198.0 मिग्रा0/ली0 पायी गयी जोकि मानको के अनुरूप है। विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है।
4. इकाई में उत्पादन प्रक्रिया से जनित ब्लैक लिकर के भण्डारण हेतु दो पक्के लैगून स्थापित है, जिनकी संयुक्त भण्डारण 12000 घनमीटर है। निरीक्षण के समय दोनो लैगून में अनुमानित 10000 घन मीटर ब्लैक लिकर एकत्रित पाया गया।
5. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषणकारी श्रोत क्रमशः 10 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्वायलर व 08 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ क्रमशः लगभग 30 मी0 व लगभग 30 मी0, ऊँची चिमनी स्थापित की गयी है ।
6. इकाई में स्थापित चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जको का अनुश्रवण राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया गया प्राप्त अनुश्रवण आख्यानुसार चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जको में PM-233mg/Nm^3 पाये गये जोकि मानको के अनुरूप है। अनुश्रवण आख्या की प्रति संलग्न है।

7. निरीक्षण के उद्योग में स्थापित डी0जी0 सेटों क्रमशः 3.2 मेगावाट (01 नग) संलग्न चिमनी की ऊँचाई निकटस्थ छत से 30 मी0, 750 केवीए क्षमता का (01 नग) संलग्नक मिचनी की ऊँर्चा निकटस्थ छत से 5.5 मी0), 500 केवीए क्षमता के (02 नग) डी0जी0 सेट (संलग्न चिमनी की ऊँचाई निकटस्थ छत से 4.5 मी0) व 82.5 केवीए क्षमता के (01 नग) डी0जी0 सेट (संलग्न चिमनी की ऊँचाई निकटस्थ छत से 2.2 मी0) एकास्टिक एनक्लोजर (ध्वनि रोधक) कक्ष में स्थापित है, जिन पर बोर्ड मानको अनुरूप चिमनी स्थापित पायी गयी।
8. इकाई को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–UPPCB/Lucknow (UPPCBRO)/CTO/ both/ SITAPUR/2022 Date: 23/03/2023 के माध्मय से सहमति जल/वायु वर्ष–2023 तक एवं राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ संख्या–8362/UPPCB /Lucknow (UPPCBRO)/HWM/SITAPUR/2019 Dated-01/08/2019 के माध्यम से दिनांक 01/08/24 तक परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्डस वेस्ट) निर्गत है। इकाई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी है। निरीक्षण के दौरान इकाई सहमति शर्तो का अनुपालन करती हुयी पायी गयी।
9. उद्योग में 04 ट्यूबवेल स्थापित जिसकी क्षमता 30 एचपी0 है। निरीक्षण के दौरान गदिया नाले पिरई नदी से सराय नदी जोकि गोमती नदी में मिलता है का नमूना एकत्रण कर जॉच कराया गया जिसमे इंगित प्रचालक **गदिया नाले का पी0एच0–7.16, टी0एस0एस0–78.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–20.0 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–104.0 मिग्रा0/ली0, परिई नदी अपस्ट्रीम– पी0एच0–7.60, डी0ओ0–4.29 मिग्रा0/ली0 टी0एस0एस0–4.29.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–5.6 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–28.0 मिग्रा0/ली0, एवं पिरई नदी डाउन स्ट्रीम–पी0एच0–7.32, डी0ओ0–2.16 मिग्रा0/ली0, टी0एस0एस0–64.0 मिग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0–92. मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–52.8 मिग्रा0/ली0,** पायी गयी जोकि मानको के अनुरूप है।
10. निरीक्षण के दौरान भूजल की गुणवत्ता हेतु ग्राम–इंदिरा नगर तहसील एवं जिला–सीतापुर में हैण्डपम्प इण्डिया मार्का–2 से भूजल के नमूना एकत्रण किया गया। विश्लेषण आख्यानुसार इंगित प्रचालक मानको के अनुरूप पाये गये (छायाप्रति संलग्न)।
11. दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में अडवानिया ग्रंट, शाहजहॉपुर रोड, थाना–रामकोट से आख्या प्राप्त की गयी । आख्यानुसार विगत 06 माह में इकाई से जनित हो रहे धुयें से जनित किसी भी दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। थाना रामकोट द्वारा प्रेषित की गयी आख्या संलग्न है।
12. शिकायतकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/04/23 के माध्यम से अवगत कराया गया कि उसने किसी के बहकावे में आकर पेपर मिल की शिकायत कर दी थी। अतः यह भी अवगत कराया है कि मै0 जे0बी0 दारूका पेपर मिल भारत सरकार के द्वारा निर्देशित नियमों के अनुसार चल रही है तथा पेपर मिल से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।
13. दिनांक 25/09/23 को शिकायकर्ता श्री सुनील कुमार रामहेत को जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित किया गया तथा उनके द्वारा पेपर मिल से किसी भी शिकायत को मना कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र निरस्त करने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

25/09/23   25/09/23

(पंकज शुक्ला)
सहायक वैज्ञानिक अधिकरी
क्षेत्रीय कार्यालय,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

(राम भरत तिवारी)
अपर जिलाधिकारी
सीतापुर